

आदेश ब इजलारा राजन विशाल आई.ए.एस. जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, जयपुर
प्रकरण संख्या : 243/2022 (धारा 14 सिक्योरिटाईजेशन)
एच. डी. एफ. सी. लिमिटेड, सी-25, भगवानदास रोड, सेन्ट जेवियर स्कूल के सामने सी-स्क्रीम
जयपुर।

प्रार्थी वित्तीय संस्था

बनाम

1. श्री हीरालाल पुत्र श्री भोजराज,
2. श्रीमती नीलम पत्नी श्री हीरालाल,

पता :-

1. हाऊस नं. 119/135 वी, मानसरोवर, जयपुर।
2. 114/267, अग्रवाल फार्म, आरवीएच, मानसरोवर, जयपुर।
3. 117/589, अग्रवाल फार्म, मानसरोवर, जयपुर।

अप्रार्थीगण

ऋणी एवं गारन्टर



The application under section 14 of The Securitisation and
Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of
Security Interest Act.2002.

उपस्थित :-

1. श्री विनोद कुमार चौहान, अधिवक्ता प्रार्थी वित्तीय संस्था की ओर से ।

आदेश

दिनांक: 09.06.2022


1. संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी वित्तीय संस्था ने अप्रार्थी ऋणी को दिनांक 28.04.2018 को पुनर्भुगतान हेतु जमानत प्रतिभूति के रूप में अप्रार्थी श्रीमती नीलम पत्नी श्री हीरालाल के स्वामित्व की सम्पत्ति 114/267 (कॉर्नर), सेक्टर-14, अग्रवाल फार्म, मानसरोवर, जयपुर क्षेत्रफल 37.028 वर्गमीटर को बन्धक रख कर राशि 27,00,000/- रुपये की ऋण सुविधा उपलब्ध कराई गई थी। अप्रार्थी ऋणी द्वारा प्रार्थी वित्तीय संस्था को ऋण भुगतान करने में असफल रहने पर अधिनियम की धारा 13(2) के अन्तर्गत अप्रार्थी ऋणी को दिनांक 27.12.2021 को रजिस्टर्ड नोटिस जारी किये गये। नोटिस जारी किये जाने के बावजूद ऋण राशि मय ब्याज भुगतान नहीं करने पर प्रार्थी वित्तीय संस्था ने The Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act,2002 की धारा 14 के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अपने पास बन्धक सम्पत्ति का भौतिक रूप से कब्जा प्राप्त करने हेतु आवश्यक पुलिस इमदाद उपलब्ध का अनुरोध किया है।
2. प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया । न्याय हित में अप्रार्थी ऋणियों को सूचना पत्र जारी किये गये। अप्रार्थीगण की ओर से कोई उपस्थित नहीं है।

जिला मजिस्ट्रेट
(कलक्टर) जयपुर

3. प्राथी वित्तीय संस्था को सुशोभ्य अभिवक्तता को गौर से सुना गया। पञ्जावली एवं प्रस्तुत दस्तावेजों का पत्नीभाति अवलोकन किया गया।
4. पञ्जावली को अवलोकन से स्पष्ट है कि प्राथी बैंक ने अप्राधीगण को कुल राशि 27,00,000/- रूपये का ऋण दिया है, जिसकी प्रतिभूति जमानत के रूप में अप्राधीगण ने उपरोक्त वर्णित सम्पत्ति बंधक के रूप में प्राथी वित्तीय संस्था को पास गिरवी रखी है। अप्राधीगण का ऋण खाता एच पी ए घोषित होने से निगमाचरणात् ऋण वसूली के लिए बकाया ऋण राशि मय ब्याज कुल राशि 31,47,955/- रूपये जमा कराने हेतु अप्राधीगण को दिनांक 27.12.2021 को अधिनियम की धारा 13 (2) के अधीन नोटिस जारी किया गया। अप्राधीगण द्वारा उक्त नोटिस का बैंक को कोई जबाब नहीं दिया गया और अप्राधीगण द्वारा वित्तीय संस्था को बकाया ऋण राशि का भुगतान भी नहीं किया गया है। प्रकरण में वसूली योग्य बकाया राशि एक लाख रूपये से अधिक होने एवं 20 प्रतिशत से अधिक राशि बकाया होने से अधिनियम के प्रावधानों के तहत वित्तीय संस्था बंधक रखी गई सम्पत्ति का कब्जा प्राप्त करने का अधिकारी है एवं अधिनियम की धारा 14 के तहत वित्तीय संस्था के पक्ष में बंधक रखी गई सम्पत्ति का भौतिक कब्जा दिलाने जाने का स्पष्ट प्रावधान है। प्राधिकृत अधिकारी ने धारा-14 के समर्थन में आवश्यक शपथ पत्र प्रस्तुत कर दिया है।
5. अतः The Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 की धारा 14 में प्रदत्त शक्तियों के तहत प्रार्थना पत्र स्वीकार कर प्राथी वित्तीय संस्था के पक्ष में अप्राधी श्रीमती नीलम पत्नी श्री हीशलाल के स्वाभित्व की सम्पत्ति 114/267 (कॉर्नर), सेक्टर-14, अमनाल फार्म, मानसरोवर, जयपुर शेडफ्ल 37.028 वर्गमीटर का भौतिक रूप से कब्जा प्राथी वित्तीय संस्था द्वारा जरिये सम्बन्धित पुलिस थाना प्राप्त किये जाने के आदेश दिये जाते हैं।
6. आदेश की प्रति संबंधित पुलिस उपायुक्त जयपुर शहर/पुलिस अधीक्षक जयपुर मागीण को भेज कर लिखा जाये की उक्त सम्पत्ति का कब्जा प्राथी वित्तीय संस्था को प्राप्त करने में सहयोग कर वित्तीय संस्था को दिलाने हेतु संबंधित थानाधिकारी को निर्देशित करें एवं पालना रिपोर्ट भिजवाने हेतु पाबन्ध करें। आदेश की प्रति हरब कायदा जारी हो। पञ्जावली नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।



आदेश आज दिनांक 09.06.2022 को सरे इजलास सुनाया गया।


(राजेंद्र विशाल)
जिला मजिस्ट्रेट
मलवटार) जयपुर